कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ

राष्ट्रीय अन्धता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम-उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश ।

संख्या-30फ/आ0से0/2018-19/निःशुल्क चश्मा वितरण-दिशानिर्देश//178 दिनांकः8/मई/2018।

विषयः-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय अन्धता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम तथा आर्शिवाद बाल स्वास्थ्य गारण्टी कार्यक्रम के संयुक्त प्रयासों के उपरान्त भी स्कूल आई स्क्रीनिंग कार्यक्रम में बच्चों के नेत्रों के परीक्षण एवं चश्मो के वितरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय सें आप अवगत ही है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय अन्धता एवं **दृष्टिक्षीणता** नियंत्रण कार्यक्रम तथा स्कूल स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के संयुक्त प्रायासों से 1 से 19 वर्ष तक के स्कूली बच्चों का नेत्र परीक्षण कर निःशुल्क सही नम्बर का चश्मा प्रदान किया जाता है। अतः जनपद के सभी अपर प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूल तक की शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों के बच्चों का नेत्र परीक्षण कराकर उनके अविभावकों को नेत्र ज्योति की स्थिति से सूचित करने की योजना नये रूप में तैयार की जानी है। इसके अन्तर्गत स्कूल स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम में स्कूलों में जाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा बच्चों को निःशुल्क चश्मा वितरण कार्ड आप्टोमेट्रिस्टों द्वारा किये गये नेत्र परीक्षण के उपरान्त प्रदान किये जाये। इस कार्ड की एक प्रति चश्मा आपूर्तीकर्ता को दी जाये जिसे वह बिल के साथ संलग्न कर भुगतान हेतु हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धक अंधता नेत्र को उपलब्ध कराये। जिला कार्यक्रम प्रबन्धक आपूर्तिकर्ता दुकान द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी कार्ड बिल के साथ प्राप्त करने पर नियमानुसार भुगतान करवाना सुनिश्चित करेगे।

विगत वर्ष 2018-19 में कार्यक्रम में सभी जनपदों द्वारा प्रयास करते हुए 2 लाख चश्मों के लक्ष्य के सापेक्ष 1.40 लाख निःशुल्क चश्मों का वितरण किया गया जो विगत वर्ष की तुलना में मात्र 900 चश्में अधिक है। समस्त प्रयासों के बावजूद भी इस गतिविधि में उत्तर प्रदेश हेतु निर्धारित लक्ष्य को शतप्रतिशन पूर्ण नही किया जा सका। अतः आपसे अपेक्षा है कि इस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही स्कूल आई स्क्रीनिंग में विशेष प्रयास करते हुए माह दिसम्बर-18 तक बच्चों को निशुल्क चश्मा प्रदान करने के लक्ष्य को पूर्ण कर लिया जाये। इस वर्ष आपके जनपद के लिए लक्ष्यों को बढाया नही गया है। आपसे अपेक्षा है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नानुसार दिये गये दिशानिर्देशों/सुझावों का पालन करते हुए अपने जनपद के लक्ष्यों को शतप्रतिशत पूर्ण करने का प्रयास करेगें।

1. बच्चों को प्रदान किये जाने वाले चश्मों के क्रय हेतु टेन्डर/दुकानो का चयन स्थानीय स्तर पर 30 जून तक हर हाल में कर लिया जाये ताकि स्कूल प्रारम्भ होते ही कार्यक्रम के लक्ष्यों का शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया जाये। **विशेष परिस्थिति** में यदि किसी जनपद में टेन्डर/क्रय प्रकिया में आपूर्तिकर्ता निधारित दरों पर समय से चश्मा वितरण करने हेतु सक्षम नही होते हैं तो इस दशा में समीपवर्ती जनपदों के चयनित आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार चश्मों की आपूर्ति कराने का प्रयास किया जायेगा, जिससे शतप्रतिशत उपलब्धि हासिल किया जाना सम्भव हो सके।
2. दुकानो का चयन चश्मो के क्रय हेतु किये गये टेन्डर के माध्यम से किया जाये, टेन्डर में सम्पूर्ण तकनीकि मानको को पूर्ण करने वाली तथा न्यून्तम दर पर चश्मा उपलब्ध कराने हेतु चयनित दुकानों से कम से कम 5 फ्रेमस स्पेसिमेन के रूप में रखे जाये जिसमें से 1 फ्रेम सील्ड करके, महानिदेशालय के नेत्रउपचार अनुभाग में सप्लायर का नाम, पता, टेलीफोन न0, ई0मेल तथा टेन्डर में निर्धारित दर के विवरण के साथ उपलब्ध कराया जाये ताकि निरीक्षण के समय मानकानुसार चश्मो का परीक्षण कराया जा सके।
3. जनपदों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के नेत्रों के नम्बर पर वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क चश्में वितरित किये जायें। -0.25 तथा -0.50 न0 D. Spherical के चश्में न दिये जाने की बाध्यता को एतद् द्वारा समाप्त किया जाता है।
4. जनपद का हर आप्टोमेट्रिस्ट अपने स्तर पर स्कूली बच्चों के नेत्रपरीक्षण तथा दिये गये चश्मो का एक रजिस्टर अलग से बनायेगा तथा अपडेट करता रहेगा। इस रजिस्टर को निरीक्षण के समय अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
5. जनपदों को राज्य स्तर से उपलब्ध कराये गये चश्मा वितरण के लक्ष्यों के अनुसार चश्मो का वितरण भारत सरकार द्वारा प्रति चश्मा निर्धारित मूल्य रू0 350.00 प्रतिकेस की अधिकतम दर तक किया जा सकता है अथवा टेन्डर के माध्यम से निर्धारित दर पर किया जाये।

6. उक्त कार्यक्रम को निम्नानुसार बनाये गये कैलेन्डर के अनुसार हर स्थिति में पूर्ण कर लिया जाये अन्यथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक(अंधता) को इसमें विलम्ब के लिए जिम्मेदार मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।
7. प्रत्येक ब्लाक/तहसील स्तर का एक माईक्रोप्लान(कार्ययोजना) तैयार कर दिनांक 31.05.2018 तक अंधता नियंत्रण कार्यक्रम कें मेल आईडी-sponpcblko@rediffmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
8. बुजर्गो के चश्मो हेतु जनपदवार लक्ष्य वितरित किये गये है उन्हे के अनुसार अपने जनपद में रू0 350/प्रति चश्मों की दर पर आवश्यकतानुसार राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले दृष्टिदोष के मरीजो को चश्में वितरित करायें तथा रिर्पोट प्रतिमाह संलग्न प्रारूप पर महानिदेशालय को भेजें।
9. भारत सरकार के पत्रांक टी0-12011/8/2017-आष्थ(पी0टी0) दिनांक 10.02.2017 द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक जिले के जिला कार्यक्रम प्रबन्धक(नेत्र), जनपद में आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम के प्रभारी, आर0बी0एस0के टीम तथा नेत्र परीक्षण अधिकारियों के साथ प्रतिमाह एक सहयोगात्मक बैठक अवश्य करें तथा इस कार्य(स्कूली बच्चों की स्क्रीनिंग, रिप्रैक्शन तथा निःशुल्क चश्मा वितरण के प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति तैयार कर लक्ष्यों को निम्नानुसार निर्धारित समय में ही पूर्ण कराने के प्रयास करें।

स्कूल नेत्र परीक्षण चश्मा वितरण हेतु तिथियों के निर्धारण का कैलेन्डर

क्र0स0	स्कूल स्कूल नेत्र परीक्षण तथा निःशुल्क चश्मा वितरण हेतु तिथियों के निंधारण का कैलेन्डर	कार्यवाही हेतु निर्धारित तिथियां
1	चश्मों के क्रय हेतु टेन्डर की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि	30.06.2018
2	आप्टोमेट्रिस्टों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्कूली बच्चों के नेत्र परीक्षण एवं सूची बनाकर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के पास भेजने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि	15.08.2018
3	फर्म द्वारा सूचीनुसार चश्में बनाकर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि	30.08.2018
4	आप्टोमेट्रिस्टों को उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार चश्में जिला कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्धारित तिथि	10.09.2018
5	आप्टोमेट्रिस्टों द्वारा बच्चों को निःशुल्क चश्में वितरित किये जाने हेतु निर्धारित तिथि	20 से 30. 09.2018
6	विषेश परिसथिति में।	अधिकतम 31.12.2018

उपरोक्तानुसार बनाये गये कार्यक्रम को समारोह के रूप में मनाते हुए, उक्त समारोह के फोटों भी महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें। इस सम्बन्ध में शिथिल कार्य करने वाले आप्टोमेट्रिस्टों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाये तथा उल्लेखनीय कार्य करने वाले समस्त आप्टोमेट्रिस्टों को जिला स्तर पर प्रोत्साहन हेतु दक्षता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाये जिससे कार्यक्रम में पूर्ण मनोयोग से लगे कार्मिकों का उत्साह वर्धन हो सके तथा अन्य सभी कर्मिकों को प्रेरणा मिले।

भवदीय,

( )
निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ

ंख्या-30फ/आ0से0/2018-19/निःशुल्क चश्मा वितरण-दिशानिर्देश/ तद्दिनांक।

तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य, एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, विकास भवन, लखनऊ।
. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवाएं, महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
. मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0 कार्यालय, विशाल कम्पलेक्स, विधान सभामार्ग, लखनऊ।
. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
. डी0डी0जी(आप्थ), कमरा न0 342-ए, स्वास्थ्य मत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली।
. समस्त मंडलीय अपर निदेशक, मंडल....................
. महाप्रबन्धक, स्कूल स्वास्थ्य एवं अर्श, एस0पी0एम0यू0 कार्यालय, विशाल कम्पलेक्स, विधान सभामार्ग, लखनऊ।

(डा0 वाई0 के0 पाठक)
संयुक्त निदेशक (नेत्र उपचार)/
राज्य कार्यक्रम अधिकारी(एन0पी0सी0बी0)

D:\eyeword\DISHA-NIRDESH-18-19.doc